संख्या:26/2018/823/35-4-2018

प्रेषक ,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 13 जून,2018

विषय: वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मा0 सदस्य विधान सभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद हेतु 100-100 अतिरिक्त हैण्डपम्पों की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त 403 मा0 सदस्य विधान सभा एवं 100 मा0 सदस्य विधान परिषद (प्रत्येक मा0 सदस्य के लिये 100 नये हैण्डपम्प) हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार 503 मा0 सदस्यों हेतु कुल 50300 हैण्डपम्पों की प्रति हैण्डपम्प अधिष्ठापन प्रदेश की औसत दर रू. 45000/- के आधार पर कुल रू. 22635.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 22635.00 लाख (रूपये दो सौ छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। हैण्डपम्प अधिष्ठापन के कार्यों के लिये जनपद बनारस, इलाहाबाद, फैजाबाद, झांसी, शाहजहॉपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली तथा अलीगढ़ में कार्यदायी संस्था यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0 एवं शेष 66 जनपदों के लिए उ0प्र0 जल निगम कार्यदायी संस्था होगी :-

1- मा0 सदस्य विधान सभा एवं विधान परिषद द्वारा अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों की सूची जिलाधिकारी के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को उपलब्ध कराई जायेगी।
2- प्रस्तावित नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में 150 की आबादी तथा 02 हैण्डपम्पों के मध्य न्यूनतम 75 मी0 की दूरी के निर्धारित मानक को ध्यान में रखा जायेगा।
3- 100 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा उनकी संस्तुति के आधार पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित मानक के अनुसार लगाये जायेंगे।
4- माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपरोक्तानुसार नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लिये उपलब्ध कराई गई सूची में हैण्डपम्पों की संख्या की सीमा को सुनिश्चित करने का दायित्व उ0प्र0 जल निगम के संबंधित जोन के मुख्य अभियन्ता तथा प्रदेश स्तर पर यह सीमा सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का होगा।
5- अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
6- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनॉक 10 अप्रैल,2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। इसके लिये प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम, द्वारा निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु एक अधिकारी को नामित कर दिया जायेगा। स्वीकृति निर्गत होने के एक पक्ष के अन्दर शासन को निम्न सूचनायें अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी:-

अ- नामित अधिकारी का नाम/पदनाम

ब- नामित अधिकारी का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी
(परिवर्तन होने पर अद्यावधिक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाये)

स- परियोजना प्रारम्भ होने की अनुमानित/वास्तविक तिथि

द- परियोजना पूर्ण करने की अनुमानित तिथि

8- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष में परियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हुये प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की संभावित तिथियों का निर्धारण किया जायेगा। यह कट-आफ तिथियाँ माइलस्टोन के रूप में जानी जायेगी। इन माइलस्टोन्स में टेण्डर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियाँ/ अनापत्तियाँ, निर्माण कार्य के अलग-अलग चरण, उपकरण क्रय, सृजित अवस्थापना को संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। इसी आधार पर कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

9- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से संबंधित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई,2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई,2017 एवं तद् विषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10- हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

11- प्रश्नगत कार्यों के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

12- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2019 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम, द्वारा राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा जनपद में अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों के लिये नियमानुसार लगने वाले हैण्डपम्पों के स्थानो की सूची अधिकृत कार्यदायी संस्था को प्रदान की जायेगी ।

16- जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय रखते हुये समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

18- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 जल निगम का होगा। प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि0 द्वारा व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराया जायेगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी ।

19- परिसम्पत्ति के सृजन के उपरांत इसके रखरखाव हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को हस्तगत कर दिया जायेगा।

20- अवमुक्त धनराशि का निर्धरित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

21- निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा। अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

22- जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

22- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

23- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्ष-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। तथा शहरी क्षेत्रों में अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्ष-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:26/2018/823(1)/35-4-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास/कृषि विपणन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद।
6- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11-समस्त उप निदेशक अर्थ एवं संख्या,उ0प्र0।
12-गार्ड फाईल।
13-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
14-राज्य योजना आयोग-1
15-समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से ,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।